

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	<p>मूलचन्द्र कोरडे व/र रामकृष्ण आज्ञा विस्तृत रूप से 110/2020 प्राथमिक अर्जा</p>
411-20		<p>वकील प्रार्थी उक्त P-2-सा.दा. के पक्षों में गत आदेशों के पालन के दिनांक 18/11/20 के पक्ष में।</p> <p style="text-align: right;">प्रस्तुतकार उप खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>
1811-20		<p>वकील प्रार्थी उक्त / वरसप्रमाण पुरी गयी वकील प्रार्थी की दलीलें उचित प्रतीत होती हैं। अतः अपार्थी गण को ता फंसल मूलवाद अस्थापी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे भूमि खण्ड 62 वाले ग्राम लीले का सात तहसील विराटनगर पर कच्चा/काँका/काँका निर्माण कार्य ना करें व भौके की यथास्थिति बनाये रखें पत्रावली फंसल शुभ्र लेना हम कितना दावा रहे कबरा से कम लेवे निर्णय हुआ गया।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>

रय !